भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1333
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट धोखाधड़ी</u>

1333. श्री निशिकांत दुबे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कंपनियों/कारपोरेट घरानों द्वारा धोखाधड़ी/अवैध खातों तथा लेन-देन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच/अन्वेषण करवाया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और
(ड.) देश में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान (और इस वर्ष 30.06.2014 तक) मंत्रालय ने ऐसी 152 कंपनियों के मामलों की जांच का आदेश दिया है जो कथित रूप से धोखाधड़ी/अवैध कार्यकलापों में

शामिल हैं। इनमें से 64 मामलों में जांच पूरी हो गई है और मंत्रालय को रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं जबकि 2 मामलों में न्यायालयों द्वारा जांच स्थगित कर दी गई है।

..2/-

(घ) : पूरी की गई जांच के संबंध में मंत्रालय ने जांच रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के अनुसार चूककर्ता कंपनियों/निदेशकों/अधिकारियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 और अन्य कानूनों के अंतर्गत किए गए विभिन्न गैर-अनुपालन/अपराधों के लिए अभियोजन दायर करने के आदेश दिए हैं।

(ङ.) : मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में एक बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (एमआरएयू) की स्थापना करना जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करना तथा ऐसे कारपोरेटों की बाजार निगरानी करना है।

(ii) एसएफआईओ में एमआरएयू के एक भाग के रूप में उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा दक्ष तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक फोरेंसिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।

(iii) एक 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' तैयार की जा रही है जो संभावित धोखाधड़ी के विश्लेषण और जल्दी पता लगाने के लिए चेतावनी देगी। वर्ष 2013-14 के दौरान एक प्रायोगिक परीक्षण किया गया।

*****